Australian Government
Department of Home Affairs

Privacy notice
गोपनीयता सूचना

Form
1442i HIN
HINDI

Home Affairs विभाग (Department of Home Affairs) (यह विभाग) में Australian Border Force (ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल) शामिल है। The *Privacy Act 1988* (Privacy Act) [*गोपनीयता अधिनियम 1988* (गोपनीयता अधिनियम)] के अनुसार जब the department (यह विभाग) किसी व्यक्ति से उसकी निजी जानकारी इक्ट्ठी करता है तो the department (इस विभाग) को, उस व्यक्ति को कई मामलों के बारे में सूचना देनी होगी। यह फ़ॉर्म आपके लिए उन मामलों की सूचना है।

निजी जानकारी क्या होती है?

गोपनीयता अधिनियम के अनुसार निजी जानकारी वह जानकारी या विचार है जो किसी व्यक्ति के बारे में हो, जिसे समुचित रूप से पहचाना जा सके।

यह विभाग कई भावुक निजी जानकारी भी एकत्रित करता है, जिसकी परिभाषा गोपनीयता अधिनियम में दी गई है और इसमें व्यक्ति की जातीय व प्रजातीय मूल, लैंगिक स्थिति या व्यवहार, अपराध संबंधी इतिहास, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व शारीरिक चिन्हों से पहचान संबंधी जानकारी, व्यावसायिक या पेशे संबंधी संस्थाओं की सदस्यता, धार्मिक मान्यताओं या संबंध, दार्शनिक विचारों व राजनीतिक संस्थाओं की सदस्यता शामिल है।

विभाग द्वारा कार्यान्वित क़ानून के मुख्य अंश हैं *Migration Act 1958* (*आप्रवासन अधिनियम 1958*) [Migration Act (आप्रवासन अधिनियम)], *Customs Act 1901* (the Customs Act) [*सीमा कर अधिनियम 1901* (सीमा कर अधिनियम)], *Immigration (Guardianship of Children) Act 1946* (the IGOC Act), [*आप्रवासन (बच्चों की संरक्षकता) अधिनियम 1946* (IGOC अधिनियम)], *Excise Act 1901* (the Excise Act) [*चुंगी अधिनियम 1901* (चुंगी अधिनियम)], *Australian Border Force Act 2015* (the Border Force Act) [(*ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल अधिनियम 2015* (सीमा बल अधिनियम)], *Maritime Powers Act 2013* (Maritime Powers Act) [*समुद्रीय शक्ति अधिनियम 2013* (समुद्रीय शक्ति अधिनियम)] व *Australian Citizenship Act 2007* (the Citizenship Act) [*ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता अधिनियम 2007* (नागरिकता अधिनियम)]।

निजी पहचान सूची

प्रवासन व नागरिकता अधिनियमों में आपकी जानकारी को एकत्र करने, उपयोग व प्रगटन करने संबंधी विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, जिसमें संवेदनशील जानकारी जैसे कि बायोमेट्रिक्स (biometrics) भी शामिल हैं, जिन्हें 'निजी पहचान सूचक' ('personal identifiers') भी कहते हैं।

- उंगलियों के निशान या हाथ की छाप
- चेहरे व कंधों की फ़ोटो
- ऑडियो या वीडियो रिकार्ड करना (केवल आप्रवासन अधिनियम के उद्देश्य से व कुछ सीमित अपवादों के साथ)
- लम्बाई व वज़न नापना
- आँख की पुतली का स्कैन
- व्यक्ति के हस्ताक्षर, या
- नियम में बताए गए कोई अन्य 'निजी पहचान सूचक' ('personal identifiers')।

व्यक्तियों से बायोमेट्रिक्स जानकारी (निजी पहचान सूचक) एकत्रित व/या सत्यापित किए जा सकते हैं:

- यात्रा करते समय हवाई अड्डे पर
- ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वीज़ा के आवेदन कर्ता (इसमें सुरक्षा वीज़ा के लिए आवेदन कर्ता भी शामिल है)
- जो ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में ग़ैर नागरिक हैं
- जो आप्रवासन के बन्दी हैं
- जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के लिए आवेदन दिया है।

यह विभाग क्या करता है व हमारा संपर्क विवरण

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं की सुरक्षा करना व निम्नलिखित में योगदान करके व निम्नलिखित सुनिश्चित करके ऑस्ट्रेलिया में लोगों और सामान की आवाजाही का प्रबंधन करना:

- नियंत्रित प्रबंधित आप्रवासन द्वारा ऑस्ट्रेलिया का भविष्य
- शरणार्थीयों की सुरक्षा करना व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय नीति में योगदान देना
- सीमा प्रबंधन व यात्री सुविधाओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा करना
- सीमा शुल्क व व्यापार आँकड़ों को एकत्रित करना
- वैध व्यापार को सहज बनाना
- ऑस्ट्रेलिया की समुद्रीय सुरक्षा व वाणिज्य हित
- ऑस्ट्रेलिया के आप्रवासन क़ानूनों व निर्णय लेने में सत्यनिष्ठा का पालन करना
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता क़ानूनों को लागू करना।

संपर्क का पूरा विवरण इस विभाग की वेबसाईट **www.homeaffairs.gov.au** पर उपलब्ध है।

यदि आपका मानना है कि हमने आपकी जानकारी ग़लत तरह से जमा या प्रयोग की है तो आप:

- ऑनलाईन **www.homeaffairs.gov.au/feedback** पर अपने विचार प्रकट करने का फ़ार्म भर सकते हैं.
- इनको लिख सकते हैं :
  The Manager
  Global Feedback Unit
  GPO Box 241
  Melbourne VIC 3001
  Australia

यह विभाग आपकी निजी जानकारी किस से इकट्ठी करेगा

यह विभाग (या इसके कॉन्ट्रेक्ट पर सेवाएँ प्रदान करने वाले) आमतौर पर, आपकी निजी जानकारी सीधे आपसे, किसी जो भी तीसरे पक्ष से, जिसे आप यह करने का अधिकार देंगे या कोई अधिकृत सिस्टम जो प्रवासन अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार हो, उससे इकट्ठी करेंगे। हम आपकी जानकारी तृतीय पक्षों से भी इकट्ठी कर सकते हैं जिसमें अन्य ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियाँ, क़ानून लागू करने वाली एजेंसियाँ, विदेशी सरकारें, स्पॉन्सर, चिकित्सक, वे संगठन जिन्हें आपने नामांकित किया है, शिक्षा प्रदानकर्ता, नियोक्ता व समाज के सदस्य जो जानकारी देने के लिए विभाग से संपर्क करते हैं (जैसे कि 'गुमनाम शिकायत करने वालों के फ़ोन') शामिल हो सकती हैं।

आप्रवासन सेवा करने वाली एजेंसियाँ या कॉन्ट्रेक्टर

कुछ निजी जानकारी हमारे लिए उन अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी इकट्ठी व उपयोग की जाती है जिन्हें इस विभाग के कुछ काम करने का अधिकार दिया जाता है।

निजी जानकारी हमारे लिए कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा भी इकट्ठी व उपयोग की जाती है। उदाहरणों में हवाई कम्पनियों द्वारा यात्रियों के लिए दोनों, बाहर जाने वाली व ऑस्ट्रेलिया आने वाली हवाई उड़ानों की अग्रिम कार्यविधि (प्रोसेसिंग) करना, कमप्यूटर तंत्र, अनुसंधान सर्वेक्षण/ इंटरव्यू, आप्रवासन बंदियों के लिए सहयोग सेवाएँ व चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।

विभाग यह भी चाहता है कि उसके कॉन्ट्रेक्टर भी गोपनीयता अधिनियम का पालन करें, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में हों या विदेश में स्थित हों।

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020

आपकी निजी जानकारी जिसे इकट्ठा करना क़ानून द्वारा आवश्यक व अधिकृत है

विभाग को आप्रवासन अधिनियम IGOC Act, Customs Act, Excise Act, Maritime Powers Act, नागरिकता अधिनियम व गोपनीयता अधिनियम अधिकृत करते हैं, व कुछ स्थितियों में विभाग के लिए आवश्यक होता है कि अधिनियमों को प्रशासित करने के लिए कई प्रकार की निजी जानकारी इकट्ठी करे।

प्रवासन अधिनियम

वीज़ा आवेदन-पत्रों के संबंध में:

- विभाग को अधिकार है कि कोई भी जानकारी जो आवेदन-पत्र से संबंधित है उसे इकट्ठा कर सकता है (प्रवासन अधिनियम की धारा 56 देखें), व
- विभाग को आवश्यकता हो सकती है कि वह आपसे निजी पहचान सूचकों' ('personal identifiers') को देने के लिए कहे (प्रवासन अधिनियम की धारा 40 व 46 देखें)।

वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र देने वालों व कुछ वीज़ा धारकों के लिए अनिवार्य है कि उनकी परिस्थिति में कोई बदलाव हो या आवेदन-पत्र दर्ज़ करते समय यदि कोई ग़लत जानकारी दी हो तो विभाग को बताएँ (प्रवासन अधिनियम की धारा 104 व 105 देखें)।

विभाग की यह भी आवश्यकता हो सकती है कि वह प्रवासन अधिनियम व प्रवासन नियमों 1994 के लक्ष्यों के लिए आपसे एक या अधिक निजी पहचान सूचकों को माँगे।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते समय, विभाग आपसे कुछ निजी जानकारी माँगेगा (जैसे कि नागरिकों से पासपोर्ट व ग़ैर-नागरिकों से पहचान का प्रमाण व वीज़ा)। यदि आप ग़ैर-नागरिक हैं और आवश्यक प्रमाण नहीं दिया जाएगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश के लिए मना कर दिया जाएगा (प्रवासन अधिनियम की धारा 257A देखें)।

ऑस्ट्रेलिया छोड़ते समय विभाग आपसे कुछ निजी पहचान सूचक देने के लिए कह सकता है (प्रवासन अधिनियम की धारा 257A देखें)।

ग़ैरक़ानूनी अवैध-नागरिकों को पहचानने के लिए विभाग को निम्नलिखित की आवश्यकता हो सकती है:

- पहचान व वीज़ा की स्थिति के लिए प्रमाण, जिसमें निजी पहचानसूचक शामिल है (प्रवासन अधिनियम की धारा 188 देखें)
- जिस व्यक्ति पर ग़ैरक़ानूनी अवैध-नागरिक होने की शंका की जा रही है, उसके बारे में पहचान करने के लिए कागज़ात या जानकारी किसी व्यक्ति द्वारा दी जानी (प्रवासन अधिनियम की धारा 18 देखें)।

जो व्यक्ति आप्रवासन बंदी हैं उसके लिए निजी पहचान सूचक प्रदान करने अनिवार्य हैं (प्रवासन अधिनियम की धाराएँ 258 व 261AA(1) और प्रवासन विनियम का नियम 3.30 देखें)।

बिज़नेस प्रायोजक के बारे में, विभाग व Fair Work Ombudsman (FWO) [उचित कार्य लोकपाल (FWO)], प्रवासन अधिनियम के अंश 2 के वर्ग 3A के उपवर्ग F के इंस्पेक्टर के अधिकारों के अनुसार निजी जानकारी इकट्ठी कर सकता है।

प्रवासन अधिनियम की धारा 252 में जाँच के अधिकार के लक्ष्य के लिए, जैसे कि एक अधिकृत अधिकारी कोई कागज़ात या कोई अन्य वस्तु रख सकता है जो किसी व्यक्ति के पास हो या ऐसी संपति में हो जो इस व्यक्ति के सीधे नियंत्रण में हो। इस व्यक्ति का वीज़ा रद्द करने के लिए यह प्रमाण हो सकता है।

एक अधिकारी ज़ब्त किया गया नक़ली कागज़ात अधिकृत रूप से ले सकता है (धारा 487ZJ देखें, व प्रवासन अधिनियम के भाग 9 के डिवीज़न 1, जिसमें यह भी शामिल है कि इस कागज़ात के साथ क्या किया जाना चाहिए)।

नागरिकता अधिनियम

कोई व्यक्ति नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, इस विषय में संतुष्ट होने के लिए हो सकता है कि विभाग कई प्रकार की निजी जानकारी इकट्ठी करे।

नागरिकता आवेदन-पत्रों के संबंध में हमारे पास अधिकार है कि हम निजी पहचानसूचक माँगें और यदि निर्णय कर्ता आपकी पहचान से संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे आवेदन-पत्रों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा (नागरिकता अधिनियम के अंश 2 व धाराओं 17(3), 19D(4), 24(3), व 30(3) के वर्ग 5 देखें)।

कोई प्रतिनिधि ज़ब्त किया हुआ नक़ली कागज़ात अधिकृत रूप से ले सकता है (धारा 45B व नागरिकता अधिनियम के भाग 3 का डिवीज़न 1 देखें, जिसमें यह भी शामिल है कि इस कागज़ात के साथ क्या किया जाना चाहिए)।

IGOC अधिनियम

Immigration (Guardianship of Children) Act 1946 (the IGOC Act) [*आप्रवासन (बच्चों का संरक्षकताण) अधिनियम 1946* (IGOC अधिनियम)] व उसके नियमों के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया आने वाले कई ग़ैर-नागरिक अल्पवयस्क, जो माता-पिता या 21 वर्ष से अधिक आयु के रिश्तेदार के साथ नहीं हैं (जिनको IGOC अल्पवयस्क कहा जाता है) तो आप्रवासन मंत्री उनका संरक्षक होता है।

संरक्षकता की ज़िमम्दारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए IGOC अधिनियम के अनुसार मंत्री संरक्षकता के अधिकारों व कार्यों को संघीय, राज्य या क्षेत्रीय सरकारों (जिन्हें 'नियुक्त किए गए संरक्षक' कहते हैं) को सौंप सकता है। स्वेच्छा से करने वाले व उपयुक्त व्यक्तियों या संगठनों को भी IGOC अल्पवयस्कों का 'अभिरक्षक' नियुक्त किया जा सकता है। आम शब्दों में कह सकते हैं कि एक अभिरक्षक को अधिकार है व उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह जो बच्चे उसकी देखरेख में हैं उनकी प्रतिदिन की देखभाल व नियंत्रण से संबंधी निर्णय ले।

IGOC अधिनियम के अंतर्गत, बच्चों की प्रतिदिन की देखभाल व कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग IGOC अल्पवयस्कों व उनके अभिरक्षकों की निजी जानकारी एकत्रित करता है। IGOC अल्पवयस्कों की प्रतिदिन की देखभाल व कल्याण संबंधी ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए, जब आवश्यक हो व गोपनीयता अधिनियम के अनुसार, विभाग निजी जानकारी निम्नलिखित को दे सकता है व उनसे जानकारी इकट्ठी कर सकता है:

- राज्य/क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिनमें शिशु कल्याण एजेन्सियाँ भी शामिल हैं
- नियुक्त किए गए संरक्षक
- अभिरक्षक
- माता-पिता, देखभाल कर्ता व/ या रिश्तेदार व/ या
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार की अन्य एजेन्सियाँ।

सीमा शुल्क अधिनियम व चुंगी अधिनियम

सीमा शुल्क व चुंगी अधिनियमों व संबंधित ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनों को कार्यान्वित करने के लिए (जिसमें प्रवासन अधिनियम व कर-निर्धारण क़ानून शामिल हैं) विभाग के पास अधिकार है कि वह भिन्न प्रकार की निजी व व्यापार संबंधी जानकारी एकत्रित कर सकता है। विशेष कर, विभाग यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को सुरक्षित करने व सीमा शुल्क जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित करता है।

कुछ मामलों में हमारे फ़ॉर्म जो आपसे सीमा शुल्क व चुंगी अधिनियमों व कर-निर्धारण क़ानून संबंधी निजी जानकारी लेते हैं उनमें कुछ एकत्रित करने के विशिष्ट नोटिस भी हो सकते हैं। ये फ़ॉर्म आपको उस काग़ज़ात में ली गई निजी जानकारी एकत्रित, उपयोग व प्रकट करने के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे, और आपको यह जानकारी इस गोपनीयता नोटिस के साथ-साथ पढ़नी चाहिए।

जैसे कि सीमा शुल्क अधिनियम की धाराओँ 64ACA व 64ACB के अंतर्गत, सीमा शुल्क व प्रवासन अधिनियमों व अन्य क़ानूनों को कार्यान्वित करने के लक्ष्य से, विभाग के लिए आवश्यक है कि वह ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जलयानों व वायुयान के यात्रियों व कर्मीदल के बारे में कुछ निजी जानकारी एकत्रित करे।

समुद्रीय अधिकार अधिनियम

समुद्र पर अमल करने वाली एजेन्सियों द्वारा समुद्रीय अधिकारों को लागू करने के लिए विभाग को अधिकार है कि वह निजी जानकारी एकत्रित करे। ये अधिकार ऑस्ट्रेलिया के समुद्र संबंधी क़ानूनों को लागू करने में मदद करते हैं, जिनमें विदेशियों द्वारा ग़ैर-क़ानूनी रूप से मछली पकड़ना, सीमा शुल्क, समुद्रीय आतंकवाद का मुकाबला, प्रवासन, संग घरोधन व नशीले द्रव्यों का अवैध व्यापार तथा समुद्र संबंधी अंतर्रराष्ट्रीय समझौते व प्रबंध शामिल हैं।

गोपनीयता अधिनियम

गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित इकट्ठा करने की अनुमति देता है:

- जहाँ पर क़ानून यह अधिकार देता है, संवेदनशील जानकारी या लागू करने संबंधित कार्यों के लिए, या आपकी अनुमति होने पर
- अन्य निजी जानकारी जब वह उचित रूप से विभाग के कोई एक या अधिक कार्यों या गतिविधियों से सीधे संबंधित हो।

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020

वे अधिनियम जिनके अंतर्गत विभाग एक क़ानून लागू करने की एजेन्सी का रूप ले लेता है

निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत कई उद्देश्यों के लिए यह विभाग एक क़ानून बाध्यकरण एजेंसी हैः the *Crimes Act 1914* (*अपराध अधिनियम 1914*), the *Criminal Code Act 1995* (*आपराधिक संहिता 1995*), the *Australian Nuclear Science and Technology Organisation Act 1987* (the ANSTO Act) [*ऑस्ट्रेलियाई आणविक विज्ञान व तकनीकी संस्था अधिनियम 1987* (the ANSTO Act)] व *Independent National Security Legislation Monitor Act 2010* (*स्वतंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून निरीक्षण अधिनियम 2010*), और इन अधिनियमों के अंतर्गत अपने कार्यों व गतिविधियों को पूरा करने के लिए वह निजी जानकारी एकत्रित कर सकता है।

उद्देश्य जिसके लिए हम आपकी निजी जानकारी इकट्ठी करते हैं

निजी जानकारी इकट्ठी करने में हमारा मुख्य उद्देश्य है विभाग के उन कार्यों व गतिविधियों को पूरा करना जो आपके आप्रवासन व/या नागरिकता मिलने का मार्ग, व सीमा के आर-पार सामान को इधर-उधर ले जाने के कार्य से संबंधित है। हम निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करते हैं:

- वीज़ा व प्रवासन
- सीमा कर व उत्पाद शुल्क, जिसमें कई अन्य ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनों को लागू करना शामिल है। यह क़ानून हैं कर लगाना, स्वास्थ्य, संगरोधन, वाणिज्य, ज़ुर्म संबंधी, बौद्धिक संपत्ति व सामुदायिक सुरक्षा
- शरणार्थी व मानवता संबंधी सहायता
- सीमा प्रबंधन
- वीज़ा का पालन व आप्रवासन स्थिति समाधान
- आप्रवासन नज़रबंदी, हटाया जाना या क्षेत्रीय प्रक्रिया केंद्र में भेजा जाना (जिसमें देश की सीमा से दूर कार्यविधि करने के समर्थन करने वाले सेवा प्रदानकर्ता व विदेशी प्रधिकरण, जैसे कि क़ानून लागू करना, कल्याण सेवाएँ प्रदान करना शामिल हैं)
- नागरिकता

जो जानकारी आप वीज़ा, आर्थिक संरक्षण (sponsorship), व्यापार, आयात व निर्यात, संगरोधन या नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र में देंगे वह इसी मुख्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।

गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत यह जानकारी दूसरे स्तर के उद्देश्य के लिए भी उपयोग की जा सकती है। आमतौर पर इस स्थिति में आप उचित रूप से समझ सकते हैं कि विभाग आपकी निजी जानकारी का उपयोग या उसे प्रकट कर सकता है और दूसरे स्तर काउद्देश्य या तो मुख्य उद्देश्य से सीधा संबंधित है (संवेदनशील जानकारी) या मुख्य उद्देश्य से संबंधित है (अन्य निजी जानकारी के लिए)। उदाहरण के लिए, जो जानकारी आप वीज़ा आवेदन-पत्र में देंगे उसका उपयोग बाद में दिए जाने वाले आवेदन-पत्रों में हो सकता है [*Freedom of Information Act 1982* (*जानकारी की स्वत्रंता अधिनियम 1982*) व (गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं)]। इसके अतिरिक्त, जो आपने अपने प्रवासन के मुद्दों के बारे में आपसे संपर्क करने के लिए हमें इलेकट्रॉनिक संपर्क विवरण दिया है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं।

यदि आपकी निजी जानकारी विभाग द्वारा इकट्ठी नहीं की जाती है तो उसके परिणाम

यदि आपकी निजी जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है तो विभाग आपके वीज़ा या नागरिकता के आवेदन-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगा (जहाँ लागू होता है) या आपको व्यापार, आयात, निर्यात व संगरोधन सहायता सेवाएँ नहीं प्रदान कर पाएगा।

आपकी जानकारी इकट्ठी करने में असफल होने पर विभाग को अपने वैधानिक उत्तरदायित्व (विशेषकर अनुपालन से संबंधित), देखभाल संबंधी कर्तव्य के उत्तरदायित्व या ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में अड़चन आएगी।

सामान्य रूप से आपकी निजी जानकारी का तृतीय पक्षों को प्रकटीकरण

नामांकित प्रतिनिधियों को बताना

जब आपने आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित किया है, जैसे कि, परिवार का सदस्य, प्रवासन एजेंट, सीमा शुल्क दलाल, यात्रा या हवाई जहाज़ कम्पनी का एजेंट, लोकपाल, संसद का सदस्य या कोई वकील तो आपकी निजी जानकारी इन तृतीय पक्षों को दे दी जाएगी, जब तक कि आपने ऐसा करने से मना न किया हो।

आपका निजी जानकारी उस व्यक्ति को भी बताई जाएगी जिसे आपने स्पॉन्सर किया है या जिसने आपको स्पॉन्सर किया है।

सरकारी एजेंसियों को सामान्य रूप से प्रगटन

कुछ स्थितियों में, जब विभाग को सीमा बल अधिनियम या अन्य क़ानूनों के अंतर्गत अधिकार या अनुमति होती है कि निजी जानकारी को अन्य सरकारी एजेंसियों को बता दे, जैसे कि अपने कार्यों व गतिविधियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या अन्य एजेनिसयों को अपना काम करने में सक्षम बनाना या मदद करना। उदाहरणों में शामिल है आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए, जो क़ागज़ात आपने दिए हैं उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, डाटा को मिलाने का काम करने के लिए या अनुपालन के उत्तरदायित्वों का संचालन करने के लिए जानकारी बताना।

वे सरकारी एजेंसियों जिनसे हम जानकारी अदला-बदली करते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं पर अन्य भी हो सकती हैं:

- *Social Security Act 1991 (सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1991)*, *Child Support (Assessment) Act 1989* [*शिशु सहायता (जाँच) अधिनियम 1989*] व *Child Support (Registration and Collection) Act 1988* [*शिशु सहायता (रजिस्ट्रेशन / एकत्रित करना पंजीकरण व संग्रह) अधिनियम 1988*] को कार्यान्वित करने के लिए Department of Human Services [मानव सेवा विभाग (DHS)]
- सामाजिक सेवा विभाग
- Department of Agriculture (कृषि विभाग) जो ऑस्ट्रेलिया के जीव सुरक्षा पद्धति का प्रबंधन व *Quarantine Act 1908* (*संगघरोधन अधिनियम 1908*), *Export Control Act 1982* (*निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1982*) व *Imported Food Control Act 1992* (*आयात किए गए खाद्य पदार्थों के नियंत्रण संबंधी अधिनियम 1992*) का प्रशासन
- Therapeutic Goods Administration (चिकित्सीय सामग्री प्रशासन)
- उद्योग, नवीनता व विज्ञान विभागग
- National Anti-Doping Scheme (राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधक योजना) का प्रशासन करने के लिए Australian Sports Anti-Doping Authority (ऑस्ट्रेलियाई खेल-कूद मादक द्रव्य विरोधक प्राधिकरण)
- शिक्षा विभाग, *Education Services for Overseas Students Act 2000* (*विदेशी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सेवाएँ अधिनियम 2000*) को कार्यान्वित करने के लिए।
- रोज़गार, कुशलताओं, लघु व पारिवरिक बिज़नेस का विभाग, रोज़गार सेवाओं के बारे में जानकारी का डाटा मिलाने के लिए
- सेवानिवृत्त सैनिकों के मामलों का विभाग, *Veterans' Entitlements Act 1986* (*सेवानिवृत्त सैनिकों के अधिकारों संबंधी अधिनियम 1986*) को कार्यान्वित करने के लिए।
- *Income Tax Assessment Act 1997* (*आय कर मूल्याँकन अधिनियम 1997*) व अन्य कराधान क़ानून को कार्यान्वित करने के लिए Australian Taxation Office (ATO) [ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय (ATO)]
- *Fair Work Act 2009* (*उचित कार्य अधिनियम 2009*) का कार्य करने के लिए Fair Work Ombudsman (FWO) [उचित कार्य लोकपाल (FWO)]
- *Australian Passport Act 2005* (*ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट अधिनियम 2005*) को कार्यान्वित करने व सुरक्षा वीज़ा कार्यवाही के लिए उस देश से जानकारी लेने व दोहरी राष्ट्रीयता के कारण जब आप किसी विदेशी पासपोर्ट को रखने के लिए उपयुक्त हों तब Department of Foreign Affairs and Trade [विदेशी मामलों व व्यापार का विभाग (DFAT)]
- *Commonwealth Electoral Act 1918* (*संघीय चुनाव अधिनियम 1918*) को कार्यान्वित करने के लिए Australian Electoral Commission (ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन कमीशन)।

पुनर्विचार, लेखा-परीक्षण व जाँच-पड़ताल संगठन

यदि आप किसी निर्णय की योग्यता या न्यायिक पुनर्विचार के लिए आवेदन-पत्र देते हैं तो विभाग उससे संबंधित निजी जानकारी उस ट्राईब्यूनल या न्यायालय को देगा जहाँ पुनर्विचार किया जा रहा है।

हम निम्नलिखित जाँच-पड़ताल संगठनों से जानकारी साझी करते हैं:

- संघीय लोकपाल
- ऑस्ट्रेलियाई सूचना कमिशनर कार्यालय

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020

- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय लेखा-परीक्षण
- ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार कमीशन
- न्याय संगत कार्य लोकपाल।

आपात स्थिति व क़ानून लागू करना

आपात स्थिति, गम्भीर चोट लगने पर या मौत हो जाने पर आपकी निजी जानकारी का संपर्क विवरण ऑस्ट्रेलियाई क़ानून बाध्यकरण एजेंसी या आपात स्थिति सेवाओं को दिया जा सकता है।

जब आवश्यक हो तो बाध्यकरण संबंधी गतिविधि के लिए, जिसमें बचाव, पता करना, जाँच-पड़ताल व दंडनीय ज़ुर्म के ख़िलाफ़ अभियोग या सज़ा शामिल हैं, विभाग, ऑस्ट्रेलियाई Commonwealth, state and territory (संघीय, राजकीय व क्षेत्रीय) व विदेशी बाध्यकरण एजेंसियों या निकायों को भी जानकारी दे सकता है।

सहायता कार्यक्रम

जो जानकारी वीज़ा की कार्यविधि में इकट्ठी की जाती है उसे निम्नलिखित को बताई जा सकती हैः

- बसने संबंधी सहायता देने के लिए सामाजिक सेवा विभाग को
- अंग्रेज़ी भाषा प्रशिक्षण की सुविधा देने व जाँच करने के लिए उद्योग, नवीनता व विज्ञान विभाग।

लाईसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरणों को जानकारी देना

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में लाईसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो विभाग संबंधित प्राधिकरणों को आपकी प्रवासन स्थिति व कार्य अधिकारों, व कुछ स्थितियों में यह कि आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिली है या नहीं संबंधी जानकारी दे सकता है। इस जानकारी का उपयोग आप लाईसेंस मिलने के लिए उपयुक्त हो या नहीं का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विशेष लाईसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो विशेष प्रगटन किए जा सकते हैं।

निजी जानकारी का अधिकृत प्रगटन

'निजी पहचान सूचक' की परिभाषा पृष्ठ 1 पर दी गई है।

प्रवासन अधिनियम के अंश 4A व नागरिकता अधिनियम के अंश s43 के अंतर्गत विभाग को अधिकार है कि कई प्रकार की स्थितिओं में निजी पहचान सूचकों को बताया जा सकता है। इसके उदाहरण में शामिल हैं:

- नागरिकता या वीज़ा स्थिति की जाँच करना
- दंडनीय क़ानून को लागू करने के लिए
- किसी ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी से व्यवस्था के अंतर्गत पहचान संबंधी जानकारी एक दूसरे को देना
- किसी न्यायालय, ट्राईब्यूनल या जाँच-पड़ताल संगठन को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना
- जब ऑस्ट्रेलियाई क़ानून को आवश्यकता हो तो।

नागरिकता अधिनियम के अंर्तगत भी विभाग को अधिकार है कि नागरिकता या प्रवासन विधान के लिए निजी पहचान सूचकों के बारे में जानकारी बताए।

प्रवासन अधिनियम का अंश 4A भी विभाग को अधिकार देता है कि निम्नलिखित स्थितियों में निजी जानकारी (इसमें निजी पहचान सूचक भी शामिल हैं) बताएः

- निम्नलिखित से डाटा मिलाने के लिएः
  - किसी व्यक्ति की पहचान की शिनाख़्त करना या प्रमाणित करना
  - किसी व्यक्ति का ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश या यहाँ से बाहर जाने की कार्यविधि को आसान बनाना
  - उन ग़ैर-नागरिकों की पहचान करना जिनका ज़ुर्म का इतिहास है, जिनके चरित्र पर शंका है या जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी शक है
  - आप्रवासन मामलों में क़ागज़ात व पहचान संबंधी धोखा-धड़ी का सामना करना
  - सुरक्षा वीज़ा की कार्यविधि में सहायता करना
- किसी व्यक्ति की पहचान करनी या पता करना कि वह कहाँ है (नागरिकता अधिनियम की धारा 33FA व 33FC भी देखें)
- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय लेखा-परीक्षण कार्यालय व ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार कमीशन जैसी निर्धारित जाँच-पड़ताल करने वाले संगठनों को
- किसी व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया से हटाने या ऑस्ट्रेलिया में वापस लाने या ऑस्ट्रेलिया से ले जाने के उद्देश्य से विदेशी सरकारों से उस व्यक्ति को ले जाने का प्रबंध करना।
- प्रवासन मामलों का नियंत्रण करने के उद्देश्य से (प्रवासन अधिनियम के अंश 5A(3) को देखें) इन विशेष विदेशी सरकारों, क़ानून लागू करने वाले या सीमा नियंत्रण संगठनों या विशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को जानकारी उपलब्ध कराना।
- अंतर्राष्ट्रीय ज़ुर्म संबंधी मामलों में मदद लेना या देना।

निजी पहचान सूचक संबंधी अधिक जानकारी के लिए फ़ॉर्म 1243i देखें।

काम करने संबंधी वीज़ा के लिए भी विभाग के पास अधिकार है कि वह स्पॉन्सर करने वाले की निजी जानकारी वीज़ा धारक को दें व वीज़ा धारक की निजी जानकारी उसके स्पॉन्सर को दे (प्रवासन अधिनियम की धारा 140ZH व नियम 2.103, 2.104 व 2.105 देखें)।

विभाग को यह अधिकार भी है कि वह ऐसी निजी जानकारी को भी बताए, जो कि आप्रवासन व सीमा सुरक्षा जानकारी [सीमा दल अधिनियम का भाग 4(1) देखे] सीमित स्थितियों में होती है और जिसका सारांश सीमा बल अधिनियम के अंश 6 में दिया गया है। कई परिस्थितियों में सीमा बल अधिनियम, निम्नलिखित संगठनों को निजी जानकारी बताने की अनुमति देता हैः

- संघीय, राजकीय व क्षेत्रीय एजेन्सियाँ या प्राधिकरण
- Australian Federal Police (AFP) [ऑस्ट्रेलिया संघीय पुलिस (AFP)] या किसी राज्य या क्षेत्र का पुलिस बल या सेवा
- मृत्यु समीक्षक
- संघीय, राजकीय व क्षेत्रीय क़ानूनी सरकारी कार्यकर्ता (जैसे कि लोकपाल)
- Australian Border Force (Secrecy and Disclosure) [ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (गोपनीयता व प्रकटन)] का नियम 2015, द्वारा बताए गए संगठन या लोग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की रेड क्रास सोसाइटी
- विदेशी या सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

पर, सीमा बल अधिनियम के अंश 6 में बताई गई अन्य विशेष आवश्यकताओं के साथ-साथ, सीमा बल अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त संगठनों में से किसी एक को निजी जानकारी का प्रकटन तभी अधिकृत होता है यदि वह सीमा बल अधिनियम में सूचित एक या अधिक 'स्वीकृत उद्देश्यों' के लिए भी किया जाता है। उदाहरणों में वे शामिल हैं जब प्रकटन निम्नलिखित में से किसी लक्ष्य के लिए होता हैः

- दंडनीय क़ानून या वाणिज्य से संबंधित क़ानून को कार्यान्वित या लागू करने के लिए
- किसी की मृत्यु की पूछताछ, जाँच-पड़ताल या न्यायिक जाँच में सहायता देना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य या एक या अधिक लोगों की जान बचाना या रक्षा करना
- *Census and Statistics Act 1905* (*जनगणना व साँख्यिकी अधिनियम 1905*) या *Australian Bureau of Statistics Act 1975* (*ऑस्ट्रेलियाई साँख्यिकी ब्योरो अधिनियम 1975*)
- सार्वजनिक राजस्व की रक्षा
- किसी व्यक्ति की पहचान करना या उनकी नागरिकता या वीज़ा स्थिति का सत्यापन करना
- जो लोग ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं उनको सेवाएँ प्रदान करना
- राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी योजना को लागू करना
- ऑस्ट्रेलिया व किसी विदेश के बीच आप्रवासन, संगरोधन या सीमा नियंत्रण संबंधी उद्देश्य
- मामले जो कई प्रकार के क़ानून के अंतर्गत आते हैं, जिसमें Customs Act, Migration Act, Maritime Powers Act, Citizenship Act, IGOC Act, (सीमा-शुल्क अधिनियम, प्रवासन अधिनियम, समुद्रीय अधिकार अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, IGOC अधिनियम आदि) शामिल हैं
- रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उद्देश्य

विभाग को यह अधिकार भी है कि वह संरक्षित निजी जानकारी को प्रकट करे यदि व्यक्ति प्रकटन की अनुमति देता है, जानकारी बताना आवश्यक है क्योंकि किसी व्यक्ति की जान या स्वास्थ्य को गंभीर खतरे से बचाया जा सकता है या ख़तरे को कम किया जा सकता है या यह जानकारी पहले से ही लोगों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सीमा बल अधिनियम की धारा 51 बताती है कि इस अधिनियम के अंश 6 के कुछ प्रावधानों के अनुसार किए गए प्रगटनों को माना जाएगा कि इस प्रगटन को इस अधिनियम ने गोपनीयता अधिनियम को लक्ष्य से अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीमा बल अधिनियम के अंतर्गत आप्रवासन व सीमा सुरक्षा जानकारी के प्रगटन की अनुमति होती है यदि यह किसी भरोसेमंद व्यक्ति की विभाग में नौकरी या सेवा के दौरान की जाती है। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ऐसा प्रगटन गोपनीयता अधिनियम का पालन करता है।

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020

विभाग को यह अधिकार भी है कि वह ऐसी निजी जानकारी को भी बताए, जो कि सीमित स्थितियों में सुरक्षित जानकारी होती है और जिसकी अपेक्षा सीमा-शुल्क संबंधी क़ानून, जैसे कि सीमा-शुल्क अधिनियम व नियमों में होती है।

गतिविधि रिकॉर्ड का प्रगटन

यात्रियों का ऑस्ट्रेलिया में आने व जाने का रिकॉर्ड, गतिविधि रिकॉर्ड डाटाबेस में रखा जाता है। यह जानकारी निम्नलिखित उद्देश्य से प्रकट की जा सकती है:

- प्रवासन अधिनियम
- *Family Law Act 1975 (परिवार क़ानून अधिनियम 1975)*
- सीमा-शुल्क या उत्पादन शुल्क क़ानून
- संगरोधन या स्वास्थ्य क़ानून
- क़ानून बाध्यकरण
- *Education Services for Overseas Students Act 2000 (विदेशी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सेवाएँ अधिनियम 2000)*
- निर्धारित संघीय, राजकीय या क्षेत्रीय क़ानून, जैसे कि प्रथम घर के मालिक संबंधी कार्यक्रमों या बच्चों व/या कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

क़ानून बाध्यकरण व संबंधित उद्देश्यों के लिए प्रगटन

क़ानून बाध्यकरण व संबंधित उद्देश्यों (जिसमें प्रवासन व नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली बाध्यकरण गतिविधियाँ व अन्य बाध्यकरण निकायों के लिए की जाने वाली की बाध्यकरण गतिविधियाँ शामिल हैं) के लिए विभाग द्वारा सामान्य प्रगटन में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई व विदेशी क़ानून बाध्यकरण एजेंसियाँ चरित्र संबंधी ज़रूरतों का मूल्यांकन करें व लागू करें
- ऑस्ट्रेलियाई व विदेशी क़ानून बाध्यकरण एजेंसियों व गुप्त सामाचारएजेंसियों या कमीशन, राष्ट्रीय आम पुलिस सेवाओं, इन्टरपॉल, राष्ट्रीय सीमा को लक्ष्य बनाने का केन्द्र, जुर्म का पता लगाना [क्रिम ट्रैक (CrimTrac)], AusTRAC नियामक कमीशनों, जाँच-पड़ताल की संसदीय कमीशनों, अंतर्राष्ट्रीय ट्राईब्यूनल व विदेशी आप्रवासन प्राधिकरणों आदि को आप्रवासन धोखा-धड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों, युद्ध अपराधों में संदिग्ध भागीदारी या मानवता के विरूद्ध अपराधों को पहचानने व जाँच-पड़ताल करने के लिए।
- *Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006* (*क़ानून बाध्यकरण सत्यनिष्ठा कमीशनश्नर अधिनियम 2006*) कार्यान्वित करने के लिए Australian Commission for Law Enforcement Integrity (क़ानून बाध्यकरण सत्यनिष्ठा की के लिए ऑस्ट्रेलियाई कमीशन)
- ATO, DHS व अन्य संघीय या राजकीय या क्षेत्रीय एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों को खोजने के लिए जो अपने काम से संबंधित वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करके काम कर रहे हैं।
- AFP व ऑस्ट्रेलियाई पुलिस बलों को अवैध ग़ैर-नागरिक खोजने के लिए
- सार्वजनिक अभियोगों के निदेशक प्रवासन व नागरिकता संबंधी अपराधों पर केस चलाएँ
- विदेशी सरकारों को अवैध ग़ैर-नागरिकों को हटाने के लिए
- FWO, रजिस्टर्ड शिक्षा संस्थाओं, नियोक्ताओं, स्पॉन्सर किए गए व्यक्तियों, स्पॉन्सर करने वालों व श्रमिक प्रदान करने वालों को वीज़ा की शर्तों व स्पॉन्सर करने की ज़िम्मेदारियों का पालन करने की निगरानी करने व प्रतिबंध लगाने के मामलों को सूचित करने के लिए ।
- क़ानून बाध्यकरण एजेन्सिज़, जिसमें AFP शामिल है, उनके लिए शर्णाथी व मानवतावादी कार्यक्रम के अंतर्गत वीज़ा आवेदनकर्ताओं व प्रस्तावकों की निजी जानकारी से संबंधित कोई क़ानून बाध्यकरण या राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की पहचान करें।

एक क़ानून बाध्यकरण एजेंसी के रूप में विभाग द्वारा प्रगटन

निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत कई उद्देश्यों के लिए यह विभाग एक क़ानून बाध्यकरण एजेंसी है: the *Crimes Act 1914* (*अपराध अधिनियम 1914*), the *Criminal Code Act 1995* (*आपराधिक संहिता 1995*), the *Australian Nuclear Science and Technology Organisation Act 1987* (the ANSTO Act) [*ऑस्ट्रेलियाई आणविक विज्ञान व तकनीकी संस्था अधिनियम 1987* (the ANSTO Act)] व *Independent National Security Legislation Monitor Act 2010* (*स्वतंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून निरीक्षण अधिनियम 2010*), और इन अधिनियमों के अंतर्गत अपने कार्यों व गतिविधियों को करने के लिए निजी जानकारी दे सकता है।

कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित अन्य प्रगटन

सहायता का आश्वासन

जो लोग सहायता का आश्वासन देते हैं उनसे संबंधित जानकारी सेंटरलिंक को बताई जाएगी जिससे जो बांड का पैसा दिया गया था उसे लौटाने में व ख़र्च किए गए उधार को पता करने व वसूल करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

रोज़गार, श्रमिक आपूर्ति व बिज़नेस योग्यता

विभाग आपकी प्रवासन स्थिति, कार्य अधिकार व आपका वीज़ा किस प्रकार का है व कितने समय के लिए है, यह सब जानकारी, नियोक्ताओं, श्रमिक आपूर्ति करने वालों व तृतीय पक्षों को जो आपकी सेवाओं का उपयोग श्रमिक आपूर्ति प्रबंध द्वारा करते हैं उन सबको बता सकता है। जैसे कि, जब आप काम के लिए आवेदन करते हैं तब विभाग आपके काम करने की पात्रता के अधिकार के बारे में नियोक्ता या श्रमिक आपूर्तिकर्ता को बता सकता है।

विभाग, राजकीय व क्षेत्रीय आर्थिक विकास विभागों व उन एजेंसियों को भी जानकारी दे सकता है जो बिज़नेस योग्यता प्रवासी सरकारी बिज़नेस जानकारी सेवाओं का उपयोग करने में मदद करती हैं।

प्रशिक्षण व शिक्षा

निजी जानकारी निम्नलिखित को दी जा सकती है:

- DFAT, उद्योग विभाग व शिक्षा विभाग को उन लोगों की मदद करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं।
- रोज़गार विभाग यह निर्णय लेगा कि किसी प्रस्तावित कार्यस्थल अंश का ऑस्ट्रेलियाई श्रमिक बाज़ार पर कोई प्रभाव है
- शिक्षा विभाग व नियुक्त किए गए वह प्राधिकरण जो कुछ वर्ग के वीज़ाओं के लिए विदेशी योग्यताएँ का मूल्याँकन करते हैं
- वयस्क प्रवासी अंग्रेज़ी कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा देने वाली शैक्षिक संस्थाएँ
- शिक्षा प्रदानकर्ताओं के विनियमन के उद्देश्य से सरकारी निकाय

स्वास्थ्य

आपके व आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विवरण जो आपके वीज़ा आवेदन-पत्र के मूल्याँकन के लिए किया गया है, यह विवरण सरकारी स्वास्थ्य एजेंसिओं व चिकित्सा प्रदानकर्ताओं को दिया जा सकता है जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि आपका स्वास्थ्य आपको वीज़ा दिए जाने की शर्तों को पूरा करता है, व इस पर विचार करने के लिए कि स्वास्थ्य शर्तों को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं या सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी ख़तरों का नियंत्रण किया जा सके।

शरणार्थियों व मानवता के आधार पर लोगों के लिए प्रवेश, व ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सुरक्षा देना के मामलों पर कार्यविधि

मानवतावादी अधिवास सेवाओं के अंतर्गत, विभाग, शरणार्थियों व मानवता के आधार पर प्रवेश पाने वालों व उनके प्रस्तावकर्ताओं (यदि लागू होता हो तो) इनकी निजी जानकारी कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले सेवा प्रदानकर्ताओं से अदल-बदल कर सकते हैं।

शरण माँगने वालों व शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्रीय उच्च कमिशनर (UNHCR) को संरक्षण या मानवतावादी वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र देने वालों के बारे में निजी जानकारी विभाग द्वारा दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य होता है पहचान, मानवतावादी या संरक्षण की माँग को सिद्ध करना।

सेवाएँ प्रदान करने में मदद के लिए, विभाग, निजी जानकारी प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दे सकता है।

नज़रबंदी

आप्रवासन नज़रबंदी में जो लोग हैं, विभाग, उनसे संबंधित निजी जानकारी निम्नलिखित को प्रदान कर सकता है:

- वैकल्पिक नज़रबंदी प्रबंधों के बारे में राजकीय व क्षेत्रीय कल्याण एजेंसियों को, जो अकेले बच्चों की देखभाल करती हैं व उन नज़रबंदियों के लिए जिन्हें शारीरिक या मानसिक विकलांगता है, उनकी संरक्षक हैं
- राजकीय व क्षेत्रीय जेल सेवाओं को जिससे हस्तांतरण आसान हो व आप्रवासन कि स्थिति की पुष्टि करना
- देश की सीमा से दूर कार्यविधि करने वाले सेवा प्रदानकर्ता जो स्थानांतरण का समर्थन करते हैं

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020

- स्कूलों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य व कल्याण सेवा प्रदानकर्ताओं, या उन प्रवासन सलाहकारों को जो आपको सलाह देता है या आपको व आपके परिवार को यहाँ से जाने के विकल्पों के मूल्याँकन में सहायता करता है।

बच्चों का कल्याण व सुरक्षा

बच्चों, व/या माता-पिता/संरक्षक/बच्चों के देखभालकर्ताओं की निजी जानकारी बच्चों की कल्याण व सुरक्षा एजेंसियों, राजकीय/क्षेत्रीय बाल-कल्याण एजेंसियों, राजकीय/क्षेत्रीय पुलिस या अन्य संबंधित ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियों को दी जा सकती है, जिससे किः

- आप्रवासन नज़रबंदी व/या समाज में देखभाल व कल्याण के प्रबंधों को व्यवस्थित करना व/या उनकी निगरानी करना
- सम्भव दुर्व्यवहार या उपेक्षा की जाँच-पड़ताल करना
- यात्रा प्रबंधों व क़ागज़ातों की सुविधा देनौ।

जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में गोद लिए जाने के लिए आते हैं, उनकी जानकारी राजकीय व क्षेत्रीय कल्याण संगठनों, Australia's Central Adoption Authorities and Intercountry Adoption Australia (ऑस्ट्रेलियाई केन्द्रीय गोद लेने संबंधी प्राधिकरण व अन्तर्देशीय गोद लेना ऑस्ट्रेलिया) को दी जा सकती है।

दूतावास, हाई कमीशन व वाणिज्य-दूतावासों से यात्रा संबंधी क़ागज़ातों को लेने के लिए जानकारी देना

यदि आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के आधार पर वीज़ा दिया गया है या ऑस्ट्रेलिया में रहने का आपका कोई क़ानूनी आधार नहीं है तो यह आशा की जाती है कि आप ऑस्ट्रेलिया से चले जाएँगे। यदि आपके पास यात्रा संबंधी वैध क़ागज़ात नहीं है या आप उन्हें उचित समय में नहीं लेते हैं तो सामान्य तरीका है कि विभाग आपके लिए आवेदन-पत्र दे। इससे आपका ऑस्ट्रेलिया को छोड़ कर चले जाने के लिए प्रबंध किया जा सकता है।

यात्रा संबंधी क़ागज़ात पाना आसान करने के लिए विभाग, दूतावास, हाई कमीशन व वाणिज्य-दूतावासों को कम से कम जानकारी देगा। इसमें आपका नाम, आपके वर्तमान पासपोर्ट का विवरण या अन्य पहचान के क़ागज़ात व संपर्क विवरण शामिल हो सकते हैं।

नागरिकता

विभाग वह निजी जानकारी जो निजी पहचान सूचक नही हैं निम्नलिखित को दे सकता हैः

- नागरिकता समारोह का आयोजन व मेज़बानी करने के लिए स्थानीय सरकारी काउन्सिलों व अन्य संगठनों को
- ऑस्ट्रेलियाई सम्मान-पदक के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए गवर्नर-जनरल के कार्यालय का आधिकारिक सचिव व प्रधान-मंत्री व मंत्री-मंडल को
- ऑस्ट्रेलियाई समाज में नए नागरिकों का स्वागत करने के लिए संसद-सदस्यों व स्थानीय सरकारी काऊन्सिलों को।

प्रवासन अनुसंधान

वर्तमान व पहले के ग्राहकों के सर्वेक्षण के लिए निजी जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। नीति व/या कार्यक्रम विकास के लिए अनुसंधान, जाँच-पड़ताल व विशलेषण करने के लक्ष्य से निजी जानकारी अन्य एजेंसियों व उन तृतीय पक्षों को जो कॉन्ट्रेक्ट पर हैं, दी जा सकती है। कॉन्ट्रेक्ट इसके उपयोग को बताए गए अनुसंधान के लक्ष्य तक ही सीमित रखता है और अनुसंधान समाप्त होने पर जानकारी को नष्ट कर देता है। अनुसंधान के लिए एकत्रित किया गया व उपयोग किया गया डाटा ज़ारी करने से पहले उसे पहचान रहित कर दिया जाता है।

निजी जानकारी ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो को भी बताई जा सकती है, जिससे नए आने वालों व विभिन्न प्रवासन कार्यक्रमों के विश्लेषण व बसने संबंधी परिणामों पर जन-सांख्यिकी अनुसंधान को मदद दी जा सके।

हाल ही में आने वालों की जानकारी राजकीय व क्षेत्रीय एजेंसियों या प्रवासी सेवा संबंधी संगठनों को दी जा सकती है जिससे बसने संबंधी योजनाओं को मदद दी जा सके या बसने संबंधी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ

ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियों को निजी जानकारी दी जा सकती है, जिसमें वे राजकीय व क्षेत्रीय एजेंसियाँ शामिल हैं जिनकी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में समन्वय करने की भूमिका होती है, जैसे कि मुख्य खेल-कूदों के मैच व खेल; अंतर्राष्ट्रीय देशों के प्रधानों की मीटिंग; सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक वैश्विक सभाएँ या उत्सव।

विभाग आपके प्रबंधों को आसान बनाने के लिए ग़ैर-संवेदनशील जानकारी का उपयोग व प्रगटन ऑस्ट्रेलियाई व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व अन्य देशों के साथ कर सकता है।

विभाग की गोपनीयता नीति के बारे में जानकारी

विभाग की गोपनीयता नीति, विभाग की वेबसाईट **https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/our-commitments/privacy** पर उपलब्ध है।

इस नीति में निम्नलिखित के बारे में जानकारी दी गई हैः

- आपकी जो निजी जानकारी विभाग के पास है उसे आप कैसे देख सकते हैं व उसे सही करवा सकते हैं
- गोपनीयता का उल्लंघन होने पर व विभाग की शिकायत प्रबंधन की कार्यविधि के बारे में आप शिकायत कैसे कर सकते हैं।

आपकी जानकारी को विदेशी प्राप्तकर्ताओं को बताना

डाटा को भेजने व संभाल कर रखने के लिए, विभाग बाह्य आई टी कॉन्ट्रेक्टरों का उपयोग करता है जिसमें वह प्रदानकर्ता भी शामिल हैं जो विदेश में स्थित हैं।

कुछ स्थितियों में हम विदेशी प्राप्तकर्ताओं को निजी जानकारी बताते हैं। अक्सर प्राप्तकर्ता आपका देश होगा जहाँ आप आमतौर से रहते हैं या वह देश है जहाँ से आप यहाँ आए हैं (जब तक की आप उन देशों के ख़िलाफ़ शरर्णाथी की माँग कर रहे हो व उस माँग के मूल्याँकन के अन्तिम निर्णय की प्रतिक्षा न कर रहे हों)। इस प्रगटन में अग्रिम यात्री कार्यवाही व इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कार्यवाही के बारे में हवाई कम्पनियों या यात्रा एजेंटों को बताना शामिल है।

विभाग उन देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी जानकारी देता है जिनका ऑस्ट्रेलिया से जानकारी लेने-देने का समझौता है, जिसमें अममेरिका, इंग्लैंड, कनाडा व न्यूज़ीलैंड शामिल हैं, पर यह इन देशों तक ही सीमित नहीं है। इस जानकारी की अदल-बदल में biometrics (निजी पहचान सूचक) शामिल हो सकते हैं।

यदि आपके निजी पहचान सूचकों से मेल हो जाता है तो विभाग आपका जीवन संबंधी डॉटा, यात्रा व पहचान के अन्य क़ागज़ात या ऐसे क़ागज़ातों में से जानकारी, आपकी आप्रवासन स्थिति व आप्रवासन इतिहास (जिसमें आप्रवासन धोखा-धडी या ज़ुर्म शामिल हो सकता है) व कोई भी संबंधित आपराधिक जानकारी बता सकता है।

ऐसे प्रगटन का लक्ष्य है आपकी पहचान की पुष्टि करना व यह निर्णय लेना कि क्या आपने अन्य एजेंसियों को इसी प्रकार की पहचान बताई है व ऐसे ही दावों के साथ।

यदि आप विदेश में मानवता वादी या सुरक्षा वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र देते हैं जो किसी विशेष देश की सरकार के विरूद्ध दावों पर आधारित है तो विभाग आपकी निजी जानकारी उस सरकार को नहीं देगी, जब तक कि आप ऑस्ट्रेलिया में न हों औरः

- आपने अनुरोध किया है या माना है कि आप इस देश में वापस जाएँगे, या
- आप ऐसे व्यक्ति साबित हो जाते हो जिसके प्रति ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षा उत्तरदायित्व नहीं है।

मुख्य पृष्ठ	**www.homeaffairs.gov.au**
आम जानकारी फ़ोनलाईन	किसी ऑपरेटर से बात करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्यकारी समय के बीच **131 881** पर फ़ोन करें (इस समय के बाद रिकॉर्ड की हुई जानकारी मिलेगी)। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं तो कृपया अपने निकट के ऑस्ट्रेलियाई मिशन से संपर्क करें।

© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2020